



Neutral Citation No. 2026:AHC:60646

उच्च न्यायालय इलाहाबाद
जमानत आवेदन संख्या 2336 वर्ष 2026

हेमन बर्मन

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....विपक्षीदल

आवेदक के अधिवक्ता

: गुंजन शर्मा

विपक्षी दल के अधिवक्ता

: जी.ए

न्यायालय संख्या 69

माननीय न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक की विद्वान अधिवक्ता सुश्री गुंजन शर्मा, राज्य-प्रतिवादियों के लिए विद्वान ए.जी.ए. श्री मनोज गौतम को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत, आवेदक हेमन बर्मन की ओर से दायर किया गया है, जिसमें उन्हें मुकदमे के लंबित रहने के दौरान, पुलिस स्टेशन साइबर क्राइम, जिला मुजफ्फरनगर में पंजीकृत केस क्राइम नंबर 14 वर्ष 2024, धारा 318(4) बी.एन.एस., 2023 के तहत जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि एफ.आई.आर. अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध दर्ज की गई है और केस क्राइम नंबर 21 वर्ष 2024 की विवेचना के दौरान आवेदक को गिरफ्तार किया गया था और उसे उसके इकबालिया बयान में फंसाया गया है। आवेदक 7.12.2024 से जेल में बंद है।
4. दूसरी ओर, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि आवेदक के आपराधिक इतिहास की व्याख्या नहीं की गई है।
5. जवाब में, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक के खिलाफ एक ही समय में सात मामले दर्ज किए गए हैं और पांच मामलों में जमानत अर्जी आज सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।
6. प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात के विरुद्ध दर्ज की गई है और आवेदक को केस क्राइम नंबर 31 वर्ष 2024 के संबंध में गिरफ्तार किया गया था और उसे इस मामले में उसके इकबालिया बयान के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। केस नंबर 31 वर्ष 2024 के बाद आवेदक के खिलाफ छह मामले दर्ज किए गए हैं और उसने पांच मामलों में जमानत अर्जी दाखिल की है जो आज सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हैं।
7. तथ्यों की समग्रता, प्रकृति और अभिलेख से प्रतिबिंबित साक्ष्यों पर विचार करने के बाद और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत के लिए उपयुक्त मामला पाता हूँ। अतः वर्तमान जमानत अर्जी स्वीकार की जाती है।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. उपरोक्त केस अपराध में शामिल आवेदक-हेमन बर्मन की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर रु. 50,000/- का व्यक्तिगत बांड और समान राशि के दो प्रतिभूतियों को प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाएगा :-
- आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे अदालत या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ न की जा सके।
 - आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव/धमकी नहीं देगा।
 - आवेदक (i) केस खोलने, (ii) आरोप तय करने और (iii) बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित रहेगा।
 - आवेदक इस आशय का एक वचन पत्र दाखिल करेगा कि वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा जब गवाह ट्रायल कोर्ट में उपस्थित हों।
 - आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने वकील के माध्यम से ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित रहेगा।
 - उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।
9. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात इस जमानत आवेदन के निर्धारण के उद्देश्य तक सीमित है और इसे किसी भी तरह से मामले के गुण-दोष पर अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा।
10. विचारण न्यायालय इस आदेश में कही गई किसी भी बात से प्रभावित हुए बिना पेश किए गए सबूतों के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होगी।

23 मार्च, 2026

(जितेन्द्र कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।